

| क्रम नं तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---------------------|---|---|
| 11/9/23 | <p style="text-align: center;">2</p> <p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>अनुप नाग, पिता अजीत नाग, ग्राम-डुमर, थाना-चुरचू, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-चुरचू, मौजा-डुमर, थाना नं0-14, खाता संख्या-29, प्लॉट संख्या-161, रकवा-19 डी0 भूमि जाँच मराण्डी, पिता फिलेमोन मराण्डी, ग्राम-डुमर, थाना-चुरचू, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं खतियान की छायाप्रति एवं अन्य कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-48/2023 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक-256/रा0 दिनांक-21.01.2023 द्वारा अंचल अधिकारी, चुरचू को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी, चुरचू हजारीबाग के पत्रांक 294 दिनांक 04.08.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, चुरचू हजारीबाग द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजात से स्पष्ट होता है कि -</p> <p>क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत है एवं एक ही थाना के निवासी हैं। आवेदित भूमि आवेदक को खतियान से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत भूमि रैयती खाते की है। खतियानी रैयत ऑनलाईन में शेमशार क्रुस्तान एवं ऑफलाईन में जयमसी क्रिस्तान हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 2.20 एकड़ भूमि है। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित रकवा 7.48 एकड़ है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-55/1 पर जयमसी क्रुस्तान के नाम से जमाबंदी दर्ज है एवं वर्ष 2023-24 तक लगान रसीद निर्गत है। जमाबंदी रैयत आवेदक के परदादा है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदकों के हिस्से की भूमि जमाबंदी के अनुसार 2.31 एकड़ भूमि बचेगी। आवेदक को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।</p> <p>प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।</p> | <p style="text-align: center;">3</p> |

आदेश की क्रम
संख्या
और तारीख
1आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
2आदेश पर
कार्रवाई के
टिप्पणी तारीख
3

अंचल अधिकारी, चुरचू हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, चुरचू हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में अनुप नाग, पिता अजीत नाग, ग्राम-डुमर, थाना-चुरचू, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-चुरचू, मौजा-डुमर, थाना नं0-14, खाता संख्या-29, प्लॉट संख्या-161, रकवा-19 डी0 भूमि जाँच मराण्डी, पिता फिलेमोन मराण्डी, ग्राम-डुमर, थाना-चुरचू, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्ता, हजारीबाग।

अपर समाहर्ता, हजारीबाग।